फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)

रामलाल पिता सोमचन्द मीणा निवासी मोटा का बाडा

बनाम

प्रभूलाल पिता रामचन्द्र मीणा निवासी मोटा का बाडा वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 513 /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
14-06.2023	प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि **ग्राम बिन्ध्याभाटा पटवार हल्का बिन्ध्याभाटा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 1124, 3946/1,3964, 3988, 4034, 4374/4039 कुल किता 06 रकबा 1.3516 हैक्टेयर** स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडोसी हैं । अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता हैं , अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलगन नकल जमाबन्दी सम्वत **2074 से 2077** तक के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार हैं प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया हैं । अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता हैं । अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि **ग्राम बिन्ध्याभाटा पटवार हल्का बिन्ध्याभाटा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 1124, 3946/1,3964, 3988, 4034, 4374/4039 कुल किता 06 रकबा 1.3516 हैक्टेयर** की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक **जहाजपुर** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिशनर फीस 500 रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नही किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 14.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा)	

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्रमांक / रीडर / 2023 / 612 2023

दिनांक :- 14.06.2023

निमित

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– प्र. स. 612/23 अनवान रामलाल पिता रामचन्द्र मीणा नि. गोटा का बाडा बनाम प्रभुलाल, सांवतसिंह, रामराज पिता रामचन्द्र मीणा, वंशीलाल पिता सुखालाल मीणा, कालुलाल पिता मोहन मीणा, सोजीराम पिता जगन्नाथ मीणा, यादराम पिता रामकिशन मीणा, तेजमल पिता लाडूराम मीणा, सन्तकुमार पिता केलाराम मीणा, दुर्गालाल पिता देवीलाल मीणा, रामस्वरूप पिता भुवानाराम मीणा नि. गोटा का बाडा, बाबूलाल पिता लादूलाल मीणा, रामकिशन पिता जयराम मीणा नि. बिन्ध्याभाटा, अशोक पिता नानूराम मीणा, रामकरण पिता फत्तालाल मीणा नि. घाटी का बाडा, जमनालाल पिता हरदेव मीणा, अणदीलाल पिता हरदेव मीणा नि. बिन्ध्याभाटा, गणपत पिता मोहन मीणा नि. गोटा का बाडा, सोजी पिता किशन मीणा नि. बिन्ध्याभाटा, नारायण पिता लादूलाल मीणा, सुवालाल पिता मोतीलाल मीणा नि. घाटी का बाडा वगैराह की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण मे **ग्राम बिन्ध्याभाटा प. ह. बिन्ध्याभाटा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1124, 3946/1, 3964, 3988, 4034, 4374/4039 कुल किता 6 रकबा 1.3516 हैक्टेयर** भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रू. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner